न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सं0 01/08
(राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14)

1. मनीराम
2. श्योपतराम
   पिसरान श्री जगमालराम जाति मेघवाल निवासी 57 एन0पी0 तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

शिकायतकर्ता

बनाम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

1. कालूराम
2. मंगला
3. ओमप्रकाश पिसरान रामचन्द्र
4. सुलोचना
5. धर्मा अनाड़ी
6. दुख्तरान श्री रामचन्द्र
7. सही राम पुत्र श्री सिमृता अकवाम बिश्नोईयान सकनाए 55 एन0पी0 तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थित : श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से
अप्रार्थीगण की ओर से कोई हाजिर नहीं।

आदेश दिनांक : 20–07–2017

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता जगमाल पुत्र रावताराम के पास 12–10 बीघा जमीन चक 57 एन0पी0 तहसील रायसिंहनगर में पुख्ता अलॉट थी और इसी मुरब्बा नं0 19 में किला नं0 23 की आधा बीघा, कि0 नं0 24 व 25 सालम कुल ढाई बीघा काश्त पर चली आ रही थी और कब्जे के अनुसार प्रार्थीगण के पिता को उप जिला कलक्टर, रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 28–04–1977 को पुख्ता अलॉट कर दी गई थी। प्रार्थीगण के पिता का देहान्त हो चुका है और वे उसके जायज वारिस हैं। उक्त आराजी को अप्रार्थीगण ने उप जिला कलक्टर, रायसिंहनगर से स्माल पेच में पुख्ता अलॉट करवा ली है तथा प्रार्थीगण की सहमति दर्ज कर दी गई है जबकि प्रार्थीगण ने कोई सहमति नहीं दी है। प्रार्थीगण गरीब हरिजन हैं। उक्त जमीन से प्रार्थीगण अपना गुजर कर रहे हैं। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 के पिता रामचन्द्र और सही राम के नाम पहले से ही भिन्न–2 चकों में करीब ढाई सौ बीघा जमीन है। इतनी जमीन होते हुए स्माल पेच में अप्रार्थीगण को जमीन अलॉट नहीं की जा सकती

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

है। प्रार्थीगण को पहले से जमीन अलॉट थी, उसी जमीन को पुनः अप्रार्थीगण को स्माल पेच में अलॉट किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 57 एन0पी0 के मु0 नं0 19 के किला0 नं0 23 की 10 बिस्वा एवं मु0 नं0 24 व 25 की एक–एक बीघा कुल ढाई बीघा भूमि का अलॉटमैन्ट बरकरार रखा जावे।

प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट तलब की गई। राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की परिधि में नहीं आता है क्योंकि हस्तगत प्रकरण में तथ्यों को छुपा कर गलत अलॉटमैन्ट कराने का प्रकरण नहीं है बल्कि प्रार्थीगण को वर्ष 1972 में चक 57 एन0पी0 के मु0 नं0 19 के किला नं0 23,24 व 25 की ढाई बीघा भूमि पुख्ता आवंटन थी। उसी भूमि को वर्ष 2001 में अप्रार्थीगण ने स्माल पेच में आवंटन करवा लिया है। दोहरे आवंटन का मामला है जबकि वर्ष 1972 का आवंटन बदस्तूर है, जिसके खारिज होने की कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना चाहिये।

अप्रार्थीगण की ओर से कोई हाजिर नहीं है।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि उप जिला कलक्टर, रायसिंहनगर द्वारा प्रार्थीगण के पिता जगमाल पुत्र रावत मेघवाल साकिन 52 एन0पी0 को मिसल नम्बर 1640/76 के माध्यम से चक 57 एन0पी0 के मु0 नं0 19 के कि0 नं0 23 की 10 बिस्वा, कि0 नं0 24 व 25 की एक–एक बीघा कुल ढाई बीघा नहरी भूमि अलॉटमैन्ट रूल्स, 1956 के नियम 6(ए) के तहत पुख्ता अलॉट की गई है जिसका दिनांक 29–4–77 को आवंटन आदेश कमांक 2255 जारी किया गया है। उक्त आवंटन को विधिसम्मत् निरस्त कराये बिना उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा बिना विधिक जॉच किये सरकार बनाम ओमप्रकाश के प्रकरण सं0 18/01 स्माल पेच में दिनांक 19–02–01 को अप्रार्थीगण को चक 57 एन0पी0 के मु0 नं0 19 के कि0 नं0 23 की 10 बिस्वा, किला नं0 24 व 25 की एक–एक बिस्वा कुल ढाई बिस्वा भूमि स्माल पेच प्रकरण में आवंटन की गई है। तहसीलदार, रायसिंहनगर ने अपनी रिपोर्ट कमांक टीआरए/12/1596 दिनांक 28–8–12 में वर्णित किया है कि " हल्का पटवारी सरदारपुरा बीका की रिपोर्ट के अनुसार चक 57 एन0पी0 के प0 नं0 210/342 मु0 नं0 19 का किला नं0 23/2 का 0.127 है0, कि0 नं0 24 ता 25 का 0.506 है0 कुल 0.633 है0 रकबा नहरी वर्तमान में जमाबंदी के खाता सं0 69 में कालू, मंगला, ओमप्रकाश वगैरा पिसरान रामचन्द्र हर सात ब.हि.ब.1/2 हिस्सा, सही राम वल्द सिमरथा 1/2 हिस्सा कौम बिश्नोई साकिन 55 एन0पी0 **गैरखातेदार के नाम से दर्ज है**। मौके पर वर्तमान में रकबा खाली है। नवीनतम रिपोर्ट कमांक टीआरए/16/538 दिनांक 27–1–17 के अनुसार " चक 57 एन0पी0 में जगमाल पुत्र रावताराम को 57 एन0पी0 के मु0 नं0 19 के कि0 नं0 23 की 10 बिस्वा, कि0 नं0 24 व 25 कुल ढाई बीघा भूमि के आवंटन संबंधी **खाता नहीं है**। इससे स्पष्ट है कि पूर्व में हुए आवंटन का आदेश यथावत् है लेकिन इसका अमल दरामद राजस्व रेकार्ड में नहीं हुआ है।

इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह निर्विवादित स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को चक 57 एन0पी0 के मु0 नं0 19 के कि0 नं0 23,24 व 25 की कुल ढाई बीघा नहरी भूमि दिनांक 28–4–1977 को उपखण्ड अधिकारी,

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

रायसिंहनगर द्वारा पुख्ता आवंटित की गई थी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख में ऐसा कोई सबूत या तथ्य नहीं है कि उक्त आवंटन निरस्त हुआ है। उक्त भूमि का आवंटन बिना सक्षम अथोरिटी से पूर्व आवंटन आदेश निरस्त हुए उपखण्ड अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को उक्त भूमि का दोहरा आवंटन दिनांक 19–2–01 को स्माल पेच में कर दिया गया और बाद के आवंटन आदेश के अनुसरण में अमल दरामद भी कर दिया गया है। इस प्रकार हस्तगत मामला राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 11/14 की परिधि में **दोहरा आवंटन होने से** नहीं आता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 11/14 की परिधि में नहीं आने से खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति आवंटन अधिकारी एवं तहसीलदार, रायसिंहनगर को प्रेषित की जावे।

प्रार्थीगण यदि चाहें तो स्माल पेच में अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन दिनांक 19–2–2001 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर सकते हैं इसलिए सूचनार्थ निर्णय की एक प्रति प्रार्थीगण को भी रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर दी जावे।

आदेश आज दिनांक 20–7–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/7/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर